

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

Email ID:-bemetaracmho@yahoo.com

क्रमांक/ जिला चिकि/ स्टोर ./2021-22/3525

बेमेतरा, दिनांक 29/04/2021

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा (छ.ग.) की ओर से Covid 19 के संक्रामण से बचाव व रोकथाम हेतु जिला बेमेतरा के लिए आवश्यक उपकरण नवीन CT Scan मशीन का कय किए जाने के संबंध में निविदा निर्माता कम्पनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेता द्वारा सील-मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा नियम एवं शर्तें

1. निविदा, निर्माता कम्पनी अथवा उनके अधिकृत विक्रेता द्वारा भरे जा सकते हैं।
2. निविदा स्पष्ट टंकित (प्रिंटेड) ही मान्य किये जायेंगे।
3. निविदादाता को निविदा के साथ अपनी कम्पनी का चालू बिक्री कर, वाणिज्य कर, आयकर, चुकता प्रमाण पत्र पेन कार्ड, क्लीयरेंस सर्टिफिकेट एवं डग लाइसेंस जिसका पंजीयन जिवित हो, निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में किसी प्रकार का अम्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. अंकित दर एफ.ओ.आर. बेमेतरा में प्रदाय करने का होना चाहिए। किसी प्रकार का अतिरिक्त भाड़ा अथवा अन्य व्यय मान्य नहीं होगा।
5. निविदाकर्ता को GST (Goods & Service Tax) में पंजीकृत होना अनिवार्य है। GST की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कराना अनिवार्य है।
6. निविदा दर में सभी प्रकार के कर सम्मिलित रहेंगे। (GST छोड़कर) दर के अतिरिक्त किसी प्रकार का कर अदा नहीं किया जायेगा। यदि कोई फार्म सेल्स टैक्स विभाग द्वारा नियमानुसार मान्य होगा तो वही दिया जायेगा।
7. निविदाकार को निर्माता का ISO/GMP/WHO/ISI/CE प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निविदाकार द्वारा उक्त प्रमाण पत्र न देने पर निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।
8. निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय अधिकृत डिस्ट्रिब्यूटर्स प्रमाण पत्र जो मूल प्रति सम्मिलित करना अनिवार्य होगा जो दिये गये निविदा के लिए देय हो।
9. निविदादाता ध्यान दें कि संस्थान द्वारा प्रदाय की गई चिकित्सा सामग्री की सूची को दिये गये प्रारूप में ही कम्प्यूटराईज्ड Excel Sheet (साफ्ट एवं हार्ड कापी) पर दर अंकित करें (पेन से लिखा हुआ मान्य नहीं होगा।)
10. प्रदाय आदेश दिनांक से 15 दिन के भीतर चिकित्सकीय उपकरण व आवश्यक सामग्रीयो प्रदाय करना अनिवार्य है। समय सीमा में प्रदाय न करने पर आदेश निरस्त कर अन्य कम्पनी से समिति की अनुमति से औषधि का कय किया जायेगा एवं प्रदाय न कर पाने वाली कम्पनी द्वारा जमा की गई राशि राजशात की जायेगी।
11. निविदा दर में मशीन का मूल्य सह Transportation, Installation, Training, AMC Cost (Three Years) And GST देना होगा।
12. जिला बेमेतरा को उक्त मशीन हेतु सारणी अनुसार ही निविदा दर प्रस्तुत करेंगे :-

Sr.No	Name Of The Product	Model	Company
1	CT Scan Machine 16 Slice	GE CT-E	GE
2	CT Scan Machine 16 Slice	Flex	Philips
3	CT Scan Machine 16 Slice	Healthineers	Siemens

13. प्रत्येक निविदादाता को अमानत राशि रूपये 300000.00/- (तीन लाख रूपये मात्र।) राष्ट्रीयकृत बैंक का मियादी जमा/बैंक डाफ्ट /RTGS/NEFT मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा खाता क्रमांक 32592043600, IFSC Code:-SBIN0000296 के नाम से जमा करना होगा। जिसे असफल



- निविदादाता को वापस कर दिया जायेगा एवं सफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा समाप्ति तक जमा रखा जायेगा। जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
14. आपात स्थिति में न्यूनतम दर पर किसी भी संस्था से कय की जा सकेगी एवं इस संबंध में किसी प्रकार का अम्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  15. निविदा दिनांक 17.05.2021 समय सुबह 11.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/ व स्वयं निर्धारित समय पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पहुंच कर जमा कर सकते हैं। डाक प्राप्ति में विलंब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा दिनांक 17.05.2021 समय दोपहर 1.00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- बेमेतरा में खोली जायेगी। संबंधित कम्पनी के प्रतिनिधि चाहे तो उपस्थित रह सकते हैं। (निविदा खुलने की तिथि में कार्य की व्यवस्था के कारण परिवर्तन हो सकता है।)
  16. निविदा दो लिफाफे में भेजना होगा, एक जिसमें अमानत राशि एवं संबंधित प्रमाण पत्र और दूसरा में टर्किट (प्रिंटेड) दर सूचि निविदा होगी। लिफाफे के ऊपर निविदा Ct Scan Machine वर्ष 2021-22 लिखा जावे। तथा कार्यालय द्वारा प्रदत्त निविदा कि नियम व शर्तों वाला प्रति के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील सहित निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  17. निविदा दर आज दिनांक से एक वर्ष तक के लिए मान्य रहेगा। जिसे कय समिति के निर्णय के अनुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है।
  18. निविदा स्वीकृत होने की दशा में चिकित्सकीय उपकरण एवं सामग्रियों प्रदाय के पूर्व आपको 50/- (पचास रुपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर यह इकरारनामा नोटरी से अभिप्रमाणित कर प्रस्तुत करना होगा, कि मेरे द्वारा प्रदाय की गई चिकित्सकीय उपकरण एवं सामग्रियों की गुणवत्ता निम्न स्तर की पाई गई तो अमानत राशि राजसात कर दी जायेगी।
  19. जो भी फर्म न्यूनतम दर पर सामग्री प्रदाय नहीं करती तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें सामग्री प्रदान नहीं करने की दशा में कालातीत सूची में (Black Listed) डाल दिया जावेगा एवं उसे अन्य निविदा में शामिल नहीं किया जावेगा
  20. चयन प्रक्रिया LI प्रकृति आधार पर की जायेगी
  21. परिशिष्ट - (अ एवं ब) तथा परिशिष्ट - (स) दो अलग अलग बंद लिफाफे में समस्त दस्तावेजों के साथ जमा किया जावे।
  22. निविदा खुलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात् संतुष्टि की दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।
  23. निविदा खोलने पर सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोला जावेगा तत्पश्चात् तकनीकी निविदा सही पाये जाने कि दशा में वित्तीय निविदा खोला जावेगा।
  24. निविदा शर्तों में परिवर्तन की स्थिति में, विसंगति की स्थिति में एवं न्यायलयीन प्रकरण कि स्थिति में निविदा निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
  25. निविदा में अंतिम निर्णय तकनीकी समिति सह क्लेक्टर के द्वारा तकनीकी मानको निविदा दर व कंपनी एवं टोटल डेलीवरी टाइम इस कोरोना महामारी के परिपेक्ष्य में लिया जावेगा जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
  26. छ. ग. शासन भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) के प्रावधान लागू होंगे।

sksharma 29.4.2021  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला बेमेतरा (छ.ग.)